

प्रोजेक्ट नं.-2

प्रोजेक्ट का नाम-	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
तत्वाधान-	भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
संरक्षण-	श्री पारस चन्द्र जैन स्टेट चीफ कमिश्नर एवं उर्जा मंत्री म.प्र.शासन
संयोजक-	श्री आलोक खरे राज्य सचिव भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
नोडल अधिकारी-	श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त स्का. श्रीमती सी.के.उपाध्याय राज्य संगठन आयुक्त गा.
कार्यक्रम सचिव-	श्री एच.सिद्धिकी, ए.एस.ओ.सी.स्का. राज्य मुख्यालय भोपाल।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य

1. स्कूल चले अभियान रैली में सहयोग करना।
2. बेटी के महत्व को जन जन तक पहुंचाना।
3. शिक्षित बेटीयों द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी देना।
4. शासन द्वारा बेटीयों की शिक्षा, रोजगार, विवाह आदि के लिए प्रचलित योजना की जानकारी का प्रचार प्रसार करना।
5. बेटी के सामाजिक, धार्मिक महत्व की जानकारी देना।
6. विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में कोई बेटी विद्यालय जाने से वंचित न हो इस हेतु प्रेरित करना।
7. बाल विवाह के नुकसान की जानकारी देना, एवं बाल विवाह एक्ट की जानकारी देना अपराध की जानकारी देना।
8. विवाह करने की सही आयु की जानकारी देना, लाभ बताना।

प्रोजेक्ट की समय अवधि

05 सितम्बर 2017 से 15 अगस्त 2018

कार्य क्षेत्र

आयोजन स्तर

1. ब्लॉक स्तर
2. जिला स्तर
3. संभाग स्तर

आयोजक स्तर

- जिला स्तर
- संभाग स्तर
- राज्य स्तर

प्रतियोगिता एवं पुरस्कार

1. प्रत्येक जिला अपने ब्लॉक स्तर पर स्काउट गाइड रोवर रेंजर दलों के माध्यम से उक्त प्रोजेक्ट को संचालित करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी/जिला संगठक/जिला सचिव जिला अध्यक्ष इसकी मानिट्रिंग करेंगे, बी.ई.ओ. स्काउटर गाइडर स्काउट गाइड को प्रमाण पत्र ट्राफी प्रदान करेंगे। लांग बुक, सी.डी., पावर प्रेजेंटेशन न्यूज कटिंग एवं दस्तावेज सतत मानिट्रिंग के आधार पर एलबम अन्य दस्तावेज। एक श्रेष्ठ ब्लॉक का चयन कर पुरस्कृत करेंगे।
2. जिला स्तर पर चयनित श्रेष्ठ 01 जिले का चयन कर लांग बुक दस्तावेज करके संभाग पर 15 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे जेडी/उपायुक्त/ए.एस.ओ.सी. स्थानिय डी.ई.ओ./ए.सी./राज्य मुख्यालय का 01 प्रतिनिधि समिति में परिक्षण करेंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र डी.ई.ओ. ए.सी. के द्वारा प्रदान किया जावेगा तथा ट्राफी संभागीय कार्यालय द्वारा चयनीत जिलों को दी जावेगी।
3. राज्य स्तर पर 01 अगस्त को राज्य मुख्यालय पर प्रत्येक संभाग अपने अपने दस्तावेज, सी.डी., पावर प्रेजेंटेशन, फोटो ग्राफ, न्यूज कटिंग आदि का प्रस्तुतीकरण

स्टेट चीफ कमिश्नर., राज्य सचिव., राज्य संगठन आयुक्त एस./जी., तथा राज्य स्तर के उपाध्यक्षों के समक्ष प्रस्तुती देगे। चयनीत संभाग को पुरस्कृत करेगे।

परियोजना से जुड़े पंजीकृत दलों के लिये कार्य योजना

1. चयनित क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान रैली एवं कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। (शासन के आदेशानुसार)
2. 15 अगस्त, 26 जनवरी 05 सितम्बर 02 अक्टूबर, 07 नवंबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की रैलीया निकालना।
3. चयनित क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 40 निनाद स्लोगन दिवारों पर लिखवाना।
4. चयनित क्षेत्रों में सम्पूर्ण अवधि में कम से कम 05 कैम्प फायर एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर आधारित कार्यक्रम करवाना।
5. चयनित क्षेत्रों के विद्यालयों में परिवार सम्मेलन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में गणमान्य नागरिक व वरिष्ठ अधिकारियों का उद्बोधन करवाना।
6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर 02 गीत तैयार कर उसकी प्रस्तुती देना।
7. अ-चयनित क्षेत्र के 40 परिवारों का सर्वे करके यह बताना कि उनकी कितनी बेटियां विद्यालय जा रही हैं। जो नहीं जा रही हैं उन्हें विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना।
ब- प्रत्येक स्काउट गाइड रोवर रेंजर 02 परिवारों का चयन कर म.प्र. शासन की बेटियों बचाओ संबंधी योजनाओं की जानकारी देगा।
8. चयनित क्षेत्र के विद्यालयों में 1-बुलबुल 1-गाइड दल का गठन करवाना व उन्हें संचालित करने हेतु प्रेरित करना।
9. शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में योग्य बेटियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना, परिवार का व शासन का सहयोग दिलाना। प्रदर्शनी परिचर्चा का वर्ष में 02 बार आयोजन करना।
10. लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों का पंजीयन करवाना। 10 बेटियों का पंजीयन कराना
11. चयनित क्षेत्र के युवाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर निबंध चित्रकला प्रदर्शनी भाषण प्रतियोगिता का वर्ष में 02 बार आयोजन करना।

अन्य विभागों से सहयोग

1. कलेक्टर, 2-एस.पी. 3-महिला एवं बालविकास, 4-सूचना प्रसार विभाग, 5-चिकित्सा विभाग, 6-शिक्षा विभाग/आदिवासी विभाग, 7-जनप्रतिनिधि, 8-गणमान्य नागरिक, 9-एन.ए.एम. कार्यकर्ता, 10-नगर पालिका, 12-जिला पंचायत, 13-ब्लाक पंचायत, 14-पत्रकार, 16-नेहरू युवा केन्द्र

कार्य अवधि

01 अगस्त से 15 सितम्बर तक ब्लाक स्तर के दलों का रजिस्ट्रेशन करवाना, स्काउटर गाइडर के नाम योग्यता की जानकारी के साथ जिला संभाग द्वारा राज्य मुख्यालय को मोबाईल नम्बर सहित भेजना।

2. कार्य क्षेत्र का चयन स्काउट गाइड दल रोवर रेंजर कू द्वारा कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना 15.09.2017 को कर सम्मिलित स्काउट गाइड रोवर रेंजर की सूची मोबाईल नम्बर सहित निर्धारण कर 15.09.2017 तक भेजना।

3. उद्देश्य की जानकारी देने हेतु चयनित क्षेत्र में भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला, रैली बेनर पोस्टर परिचर्चा उद्बोधन सभा का आयोजन कैम्प फायर गीत आदि का आयोजन कर उद्देश्य की पूर्ति करना

4. ब्लाक स्तर पर जिन दलों के द्वारा उक्त परियोजना में कार्य किया है उनमें से 03 श्रेष्ठ दलों का चयन ब्लाक द्वारा किया जावेगा। सभी शामिल होने वाले दलों के स्काउट गाइड रोवर रेंजरर्स एवं यूनिट लीडर को ब्लाक द्वारा प्रमाण पत्र दिया जावेगा राज्य स्तर पर एक श्रेष्ठ दल का चयन कर शील्ड प्रदान की जावेगी।
- निर्णायक मंडल बी.ई.ओ. जिला सचिव, एक-एक स्काउटर गाइडर समिति के सदस्य होंगे।
5. जिला स्तर पर ब्लाक द्वारा चयनित तीन दलों में से श्रेष्ठ तीन दलों का चयन कर उनका नाम संभाग स्तर पर भेजा जावेगा। जिले में एक श्रेष्ठ दल को जिला संघ द्वारा पुरस्कृत किया जावेगा।
- निर्णायक मंडल जिला संघ अध्यक्ष, जिला मुख्य आयुक्त जिला कमिश्नर स्काउट गाइड जिला संगठक एवं जिला सचिव समिति के सदस्य होंगे।
6. संभाग स्तर पर जिले से प्राप्त तीन-तीन दल श्रेष्ठ दल में से तीन श्रेष्ठ दलों का चयन कर राज्य मुख्यालय को भेजा जायेगा। श्रेष्ठ दल को संभाग स्तर पर पुरस्कृत किया जावेगा।
- निर्णायक मंडल संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/उपायुक्त आ.वि., ए.एस.ओ.सी., राज्य मुख्यालय का 01 पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे।
7. राज्य स्तर पर संभाग द्वारा चयनित दलों में से तीन दलों का चयन कर उन्हें राज्य स्तर पर समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया जावेगा।
- निर्णायक मंडल राज्य मुख्य आयुक्त 01-01 उपाध्यक्ष राज्य सचिव राज्य संगठन आयुक्त स्का./गा. समिति के सदस्य होंगे।